

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
ग्लैनथोर्न भवन, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

संख्या: 741 / **IX-B-4/09/SLSA,NTL/2014,**

दिनांक: 26.09.2014

नीलामी सूचना

(‘क’)

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की निष्प्रयोज्य सामग्री (प्लास्टिक का सामान, लोहे का सामान, लकड़ी का सामान, कुर्सी, आदि) की नीलामी हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में ₹ 1,500/- (रिफण्डेबल धनराशि) तथा ₹ 100/- (नॉन-रिफण्डेबल) नकद जो लेखा अनुभाग, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में मुहरबन्द निविदा के साथ संलग्न कर दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को 12:00 बजे तक जमा करने होंगे एवं प्राप्त निविदायें उसी दिनांक को 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा की समस्त शर्तों/नियमों का विवरण तथा सामग्री का अवलोकन एवं अन्य जानकारी बाबत कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उक्त सूचना का अवलोकन आप कार्यालय की वैबसाईट **www.slsa.uk.gov.in** पर भी कर सकते हैं।

ह0/-  
सदस्य-सचिव,  
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति/फर्म, निविदा की समस्त शर्तों/नियमों का विवरण तथा सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है।
2. इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में ₹ 1,500/- (रिफण्डेबल धनराशि) तथा ₹ 100/- (नॉन-रिफण्डेबल) नकद जो लेखा अनुभाग, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में मुहरबन्द निविदा के साथ संलग्न कर दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को 12:00 बजे तक जमा करने होंगे एवं प्राप्त निविदायें उसी दिनांक को 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोली जायेगी।
3. असफल व्यक्ति/फर्म द्वारा जमा कराये गये ₹ 1,500/- (रिफण्डेबल धनराशि) अगले दिन वापस कर दी जायेगी। सफल व्यक्ति/फर्म द्वारा जमा कराये गये ₹ 1,500/- (रिफण्डेबल धनराशि) सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
4. नीलामी हेतु रखी गयी सामग्री किसी भी दशा में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से नीचे नीलाम नहीं की जायेगी। सामग्री का निर्धारित न्यूनतम मूल्य निम्न प्रकार हैं:-

क्र.स.	सामग्री का विवरण	निर्धारित न्यूनतम मूल्य	निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर लगाया गया मूल्य
1.	प्लास्टिक का सामान - 30 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 300/-	₹
2.	लोहे का सामान - 71 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 1775/-	₹
3.	लकड़ी का सामान - 168 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 798/-	₹
4.	कुर्सी - 48 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 1200/-	₹
5.	कुर्सी के हथ्थे - 18 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 189/-	₹

5. इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी का मूल्य (निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर) संलग्न प्रारूप-1 में भरकर एवं स्वहस्ताक्षरित करके कार्यालय में उपरोक्त अंकित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य है।
6. सफल व्यक्ति/फर्म द्वारा नीलाम किये गये सामान के मूल्य की धनराशि दो दिन के अन्दर ही विभाग के लेखा अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही सामान को ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. नीलाम किये गये सामान को सफल व्यक्ति/फर्म द्वारा दो दिन के अन्दर ही ले जाना होगा। दो दिन के उपरान्त अथवा नीलामी मूल्य जमा न कर पाने की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास नीलामी बाबत सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यदि विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि बोलीदाताओं द्वारा आपस में साठ-गांठ कर रखी है, जिसके फलस्वरूप विभाग को नीलामी को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित करने का पूर्ण अधिकार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होगा।
9. नीलामी संबंधी किसी भी विधिक कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्र केवल जनपद नैनीताल स्थित न्यायालय होगा।

\* \* \* \* \*

प्रारूप-1

1. व्यक्ति/फर्म का नाम: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. पूरा पता: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. मोबाईल/फोन नम्बर: \_\_\_\_\_
4. लगाई गई बोली (न्यूनतम निर्धारित मूल्य से ऊपर लगाया गया मूल्य) का विवरण:—

क्र.स.	सामग्री का विवरण	निर्धारित न्यूनतम मूल्य	निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर लगाया गया मूल्य
1.	प्लास्टिक का सामान – 30 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 300/-	₹
2.	लोहे का सामान – 71 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 1775/-	₹
3.	लकड़ी का सामान – 168 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 798/-	₹
4.	कुर्सी – 48 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 1200/-	₹
5.	कुर्सी के हत्थे – 18 कि.ग्रा.	कुल मूल्य ₹ 189/-	₹

स्थान:

दिनांक:

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर